

The Himachal Pradesh Electricity Distribution Management Responsibility Act, 2014

Act 5 of 2015

Keyword(s):

Action Plan, Aggregate Technical & Commercial Loss, Collection Efficiency, Fiscal Responsibilty and Budget Management Limit, Financial Restructuring Plan, Key Performance Indicators, Nodal Bank, State Distribution Licensee

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

Act No. 5 of 2015

2014 का विधेयक संख्यांक 10

हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक, 2014

(विधान सभा द्वारा यथापारित)

हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक, 2014

खण्डों का क्रम

खण्ड:

- 1. संक्षिप्त नाम, लागू होना, विस्तार और प्रारम्भ ।
- 2. परिभाषाएं ।
- 3. राज्य विद्युत वितरण प्रबंधन विवरणी का राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना ।
- 4. राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी की धारणीयता के लिए दीर्घकालिक योजना ।
- 5. राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए वित्तीय पुनर्गठन योजना ।
- 6. लेखा उपाय ।
- 7. निगमित शासन प्रणाली ।
- विनियामक अनुपालन और टैरिफ दाखिल करना ।
- 9. समझौता ज्ञापन ।
- 10. अनुश्रवण तंत्र ।
- 11. अनुपालन प्रवर्तित करने के उपाय ।
- 12. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति।
- 13. नियमों का राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाना ।
- 14. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
- 15. अन्य विधियों का लागू होना वर्जित नहीं ।
- 16. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति ।
- 17. अधिनियम का कतिपय मामलों में लागू न होना ।

हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक, 2014

(विधान सभा द्वारा यथापारित)

दीर्घकालिक योजना, निगमित शासन प्रणाली विनियामक अनुपालन के क्षेत्रों में वित्तीय पुनर्गठन धारणीय आधार पर समर्थन के माध्यम से उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत प्रदाय को समर्थ बनाने के लिए राज्य के स्वामित्वाधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय और प्रतिचालन प्रतिवर्तन तथा दीर्घकालिक धारणीयता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार के उत्तरदायित्वों तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक नीति निदेशों और विभिन्न अन्य उपाय अधिकथित करने हेतु उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण संक्षिप्त नाम, लागू होना, प्रबंधन उत्तरदायित्व अधिनियम, 2014 है । विस्तार और प्रारम्म।
- (2) इस अधिनियम के उपबन्ध, वित्तीय पुनर्गठन योजना के उद्देश्यों के अनुसार, विद्युत के वितरण में लगे हुए राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य सरकार के अधीन बोर्ड या विभाग को लागू होंगे।
 - (3) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य में होगा ।
- (4) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जैसी राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

परिभाषाएं।

- 2. (1) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) "कार्य योजना" का वही अर्थ होगा जो इस अधिनियम की धारा 3 में इसको समनुदेशित है;
 - (ख) " संकलित तकनीकी और वाणिज्यिक हानि" या " ए.टी.एण्ड सी लॉस" से वितरण प्रणाली के ऊर्जा आगत और प्राप्य ऊर्जा का अन्तर अभिप्रेत है जिसमें प्राप्य ऊर्जा देयकांकित ऊर्जा के उत्पादन और संग्रहण क्षमता के बराबर होगी;
 - (ग) "प्राधिकरण" से विद्युत अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अभिप्रेत है;
 - (घ) "बोर्ड" का वही अर्थ होगा जो विद्युत अधिनियम, 2003 में इसे समनुदेशित है;
 - (ड.) "संग्रहण क्षमता" से उसी वर्ष के लिए देयकांकित कुल राजस्व के कुल वसूलीय राजस्व का अनुपात अभिप्रेत है;
 - (च) "विद्युत अधिनियम" से यथा प्रवृत्त विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;
 - (छ) "राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन सीमा "से समय—समय पर यथा प्रवृत्त, राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन से सम्बन्धित, परिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार की राज्य सरकार के उधार पर अधिरोपित सीमा अभिप्रेत है;

- (ज) "वित्तीय पुनर्गंडन योजना" या "एफ आर पी "से केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्याः 20/11/2012—एपीडीआरपी तारीख 5 अक्तूबर, 2012 के निबन्धनों के अनुसार अधिसूचित वित्तीय पुनर्गंडन स्कीम के उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वित्तीय पुनर्गंडन के लिए योजना अभिप्रेत है;
- (झ) "प्रमुख निष्पादन संकेतक (केपीआईज)" से राज्य आयोग द्वारा अधिकथित निष्पादन मानक, यदि कोई है, और / या वित्तीय पुनर्गठन योजना, यदि कोई है, अभिप्रेत है और ऐसी अवधि तक जब तक कि केपीआईज अधिकथित नहीं कर दिए जाते तो इस अधिनियम की अनुसूची में यथा उपबंधित केपीआईज विद्यमान रहेंगे;
- (ञ) "नोडॅल बैंक" से राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वित्तीय पुनर्गठन के प्रयोजनों के लिए और राज्य सरकार राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी और भागीदार उधारदाता के साथ समन्वय के प्रयोजन के लिए वित्तीय सेवाओं के विभाग द्वारा नामनिर्देशित बैंक अभिप्रेत है;
- (ट) "विहित "से इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ठ) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ड) "राज्य आयोग" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 82 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;
- (ढ) "राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी" या "वितरण अनुज्ञप्तिधारी" से विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित या

सरकारी कम्पनी या राज्य सरकार के अन्तर्गत विद्युत के वितरण के लिए अभियोजित विभाग अभिप्रेत है; और

- (ण) " राज्य सरकार "से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- (2) इस अधिनियम में उन समस्त शब्दों, जो इसमें अभिव्यक्त रुप से पिरभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो वित्तीय पुनर्गठन योजना, विद्युत अधिनियम, 2003 या तद्धीन जारी की गई अधिसूचनाओं, बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।

राज्य विद्युत वितरण प्रबन्धन विवरणी का राज्य विधान समा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।

- 3. (1) राज्य सरकार, दीर्घकालिक योजना, उपभोक्ता संरक्षण, विनियामक अनुपालना, निगमित शासन प्रणाली, राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वित्तीय पुनर्गठन के क्षेत्र सिहत राज्य सरकार द्वारा राज्य में विद्युत वितरण से सम्बन्धित किए गए उपायों पर राज्य विद्युत वितरण प्रबन्धन विवरणी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट सत्र के दौरान राज्य विधान सभा के समक्ष रखेगी ताकि उन्हें धारणीय आधार पर राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी की परिचालन और वित्तीय क्षमता के अनुरुप लाया जा सके और जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होगा:—
 - (क) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए धारा 4,5,6 और 8 के अधीन उपबन्धित शर्तों या उपबन्धों से सम्बन्धित प्रमुख निष्पादन संकेतक प्राप्त करने हेतु और अन्य कार्यकलापों की विशिष्टियां, जिनकी राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय और परिचालन प्रतिवर्तन पर सम्भाव्य विवक्षाएं हैं, सरकार की पॉलिसियों और युक्तियां अधिकथित करते हुए राज्य विद्युत वितरण योजना की विवरणी;
 - (ख) समयबद्ध कार्यक्रम अधिकथित करते हुए दीर्घकालिक, मध्यम कालिक, अल्पकालिक आधार पर निम्न के लिए कार्य योजना—
 - (i) प्रमुख निष्पादन संकेतकों को प्राप्त करने हेतु युक्तिगत पूर्विकताओं को निष्पादित करना;

- (ii) प्रमुख निष्पादन संकेतकों और युक्तिगत पूर्विकताओं का अनुश्रवण करना और उनकी अनुपालना सुनिश्चित करना;
- (iii) प्रकिया में / प्रक्रिया के दौरान प्रतिसूचना पथ; और
- (iv) ऐसे अन्य कार्यकलाप जो इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा संत्यक्त बाध्यताओं को पूरा करने और इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपेक्षित हों:

परन्तु कार्य योजना में वास्तविक निष्पादन और प्रमुख निष्पादन संकेतकों में विचलन का विलोपन करने और न्यूनतम करने के लिए उपाय अन्तर्विष्ट होंगे;

- (ग) यथास्थिति, राज्य विद्युत अनुज्ञप्तिधारी या राज्य सरकार द्वारा ऐसी शर्तो या इस अधिनियम की धारा 4,5,6 और 8 के अधीन उपबन्धित उपबन्धों सहित अनुपालना के निर्धारण अधिकथित करते हुए राज्य वितरण निष्पादन विवरणी ।
- (2) राज्य विद्युत वितरण प्रबन्धन विवरणी ऐसे प्ररुप में होगी, जैसा विहित किया जाए ।
- (3) राज्य विद्युत वितरण प्रबन्धन विवरणी किन्हीं परिणामों, जिससे अनुज्ञिप्तिधारी विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन, विशिष्टतया उक्त अधिनियम की धारा 55 में निर्दिष्ट समय सीमा के लिए दायी होगा और उक्त अधिनियमिति के अधीन किन्हीं अपेक्षाओं के सम्बन्ध में प्राधिकारियों के किन्हीं आदेशों और निदेशों के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी:

परन्तु इस धारा की कोई भी बात विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन किसी अपेक्षा की छूट अतर्हित नहीं होगी । राज्य वितरण अनुक्रप्तिधारी की धारणीयता के लिए दीर्घकालिक योजना।

- राज्य वितरण 4. (1) राज्य सरकार निम्नलिखित मामलों के लिए समुचित उपायों अनुक्षप्तिधारी की धारणीयता की व्यवस्था करेगी, अर्थात्:—
 - (क) राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी की मांग का आकलन, संकलित तकनीकी और वाणिज्यिक हानि और दीर्घकालिक आधार पर विद्युत की उपलब्धता तथा राज्य आयोग के अनुमोदन से मांग की पूर्ति के लिए ऊर्जा के क्रय हेतु, दीर्घकालिक या मध्यमकालिक या अल्पकालिक करारों के माध्यम से संविदाएं;
 - (ख) राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी राज्य आयोग के अनुमोदन से संकलित तकनीकी और वाणिज्यिक हानि को कम करने के लिए समयबद्ध रोडमैप तैयार करनाः

परन्तु रोडमैप इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास के भीतर तैयार किया जाएगा;

(ग) राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऊर्जा परिकलन और समस्त 33 के0वी0 फीडरों, 11 के0वी0 फीडरों की संपरीक्षा और उपभोक्ता अनुक्रमणिका सिंहत वितरण ट्रांसफार्मरों तथा उपभोक्ताओं के प्रत्येक प्रवर्ग की समयबद्ध मीटरिंग का जिम्मा लेता है और ऐसा करते समय वितरण अनुज्ञप्तिधारी को मीटरिंग प्रौद्योगिकियों में नवीनतम परिवर्धन पर विचार करना होगाः

परन्तु ऊर्जा के परिकलन और अंकेक्षण की बाबत रोडमैप और समस्त उपभोक्ताओं के लिए समयबद्ध मीटरिंग इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास के भीतर तैयार किया जाएगा और इसके लिए राज्य आयोग से अनुमोदन लिया जाएगाः परन्तु यह और कि उपभोक्ता अनुक्रमणिका इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर पूर्ण की जाएगीः

परन्तु यह और भी कि राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऊर्जा अंकेक्षण, संपरीक्षा, मीटरिंग और फीडरों तथा वितरण ट्रांसफार्मर—वार उपभोक्ता अनुक्रमणिका की बाबत अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्राधिकरण और राज्य आयोग को प्रस्तुत करेगा;

- (घ) यदि राज्य सरकार किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी को कोई सहायकी प्रदान करना अपेक्षित समझती है तो राज्य सरकार स्पष्टतया उपभोक्ता या उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी, जिसको इसे प्रदान किया जाना है, का वर्णन करते हुए अग्रिम में सहायकी की प्रमात्रा घोषित करेगी और ऐसा करते समय राज्य सरकार विनियामकों की फोरम द्वारा विविध वर्ष के लिए तैयार किए गए वितरण टैरिफ के विनियमों द्वारा निर्देशित होगी;
- (ङ) वार्षिक बजट का प्रावधान करना और यदि प्रतिबद्धता है तो विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार समय पर सहायकी भी जारी करना;
- (च) यह सुनिश्चित करना कि इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को या इससे पूर्व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थाओं को विद्युत प्रदाय के लिए विद्युत प्रभारों का कोई बकाया नहीं है और ऐसा करने में असफल रहने की दशा में इसे वार्षिक बजट अनुदान में समायोजित किया जाएगाः

परन्तु राज्य सरकार इसके विभिन्न विभागों और संस्थाओं को प्रदाय की गई विद्युत के लिए प्रभार देय तारीख के भीतर राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी को संदाय करना सुनिश्चित करने के लिए अनुदानों सहित बजट प्रावधान करेगी;

- (छ) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर वहां विशेष न्यायालय स्थापित करना जहां विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 153 से 157 के अनुसार बिजली की चोरी को पकड़ने के लिए यह स्थापित नहीं किए गए हैं;
- (ज) यह सुनिश्चित करना कि स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर को किसी राज्य अधिनियम के अधीन या द्वारा, जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, स्थापित या गठित किसी सरकारी कम्पनी या किसी प्राधिकरण या निगम (राज्य पारेषण उपयोगिता से अन्यथा) द्वारा इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास के भीतर परिचालित हो और अन्य उपायों की व्यवस्था करना जो क्रियाशील और वित्तीय स्वायत्तता, स्वतन्त्र और धारणीय राजस्व स्त्रोत और पर्याप्त जनशक्ति सुनिश्चित करेगी:

परन्तु ऐसी सरकारी कम्पनी या कोई प्राधिकरण या निगम, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 32 और 33 के अधीन विनिर्दिष्ट से अन्यथा किसी कृत्य में शामिल नहीं होगी;

(झ) राज्य वितरण अनुज्ञिप्तिधारी के सम्बन्ध में, समनुषंगी, संयुक्त जोखिम उठाने वाली कम्पनियों का गठन या डिवीजन की अन्य स्कीमों, समामेलन, विलय या पुनर्गठन या व्यवस्थाएं करना जो परिणामी एन्टटी की लाभदायिकता और क्षमता में अभिवृद्धि करेगी, आर्थिक दक्षता, लोक निजी भागीदारी, प्रतियोगिता को प्रोत्साहन और उपभोक्ता हितों का संरक्षण सुनिश्चित करना; और

- (ञ) ऐसे अन्य उपाय जो विहित किए जाएं।
- (1) वित्तीय पुनर्गं वन योजना अधिसूचित हो जाने पर, राज्य वितरण राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वित्तीय पुनर्गठन के प्रचालन करने के साथ-साथ, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करेगी कि वित्तीय पुनर्गटन योजना में परिचालन और वित्तीय प्राचल के प्रक्षेप-पथ नियत समय सीमा के भीतर प्राप्त हो जाएं।

अनुज़िपाधारी के लिए वित्तीय पुनर्गठन योजना।

(2) राज्य सरकार, राज्य आयोग के किसी आदेश या निदेश के अध्यधीन, राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वित्तीय दायित्वों का जिम्मा लेने के लिए और राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय परिचालन हानियों और हितों के वित्तपोषण के लिए वित्तीय पुनर्गंडन योजना में विचारित परिचालन और वित्तीय प्रक्षेप-पथों को प्राप्त करने के लिए तथा ऐसे अन्य उपायों, जो किसी वित्तीय पुनर्गठन योजना या किसी अन्य वित्तीय पुनर्गठन स्कीम में विनिर्दिष्ट किए जाएं, के लिए योजना अधिसूचित करनाः

परन्तु ये राजकोषीय उत्तरदायित्व, राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन सीमा, यदि कोई है, में उपलब्ध बजट प्रतिबन्धों / वित्तीय सीमाओं के संगत होंगे:

परन्तू यह और कि राज्य सरकार राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी को ऋण के रुप में किसी भी वित्तीय दायित्व को उनसे वापस लिए जाने के पश्चात्, समायोजित नहीं करेगी':

परन्तु यह और कि यदि वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005, यदि कोई है, के अधीन ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात सहित यदि राजकोषीय अन्तर पाया जाता है तो सरकार वित्त आयोग द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित सुसंगत राजकोषीय वर्ष की उसकी शुद्ध ऋण लेने की सीमा को पार नहीं करेगी:

परन्तु यह और भी कि यदि किसी विशिष्ट वर्ष में राज्य सरकार का वित्तीय अन्तर मूलतः प्रक्षिप्त से अधिक पाया जाता है तो यह यथासाध्यशीघ्र अतिरिक्त दायित्वों को हाथ में लेगी।

- (3) राज्य सरकार, राज्य वित्त पर इसके प्रभाव के प्रभावी अनुश्रवण के लिए, राज्य बजट विवरणियों के भाग—रुप राजकोषीय पुनर्गटन योजना या ऐसी अन्य विभागीय स्कीम बनाएगी ।
- (4) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी वित्तीय पुनर्गठन योजना में यथा उपबन्धित के सिवाय प्रचालन हानि के लिए निधि का प्रावधान करने के लिए अल्पकालिक ऋण नहीं लेगा ।

लेखा उपाय।

6. (1) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास के भीतर सशक्त समिति स्थापित करेगी जो राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लेखा खातों में प्राप्य तथा डूबत और शंकास्पद ऋण की पहचान व्यवस्था, और बट्टे—खाते डालना सुनिश्चित करेगी:

परन्तु राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी लेखा पॉलिसियाँ तैयार करेगा, जो इसके वित्तीय प्रबन्धन और इसके प्राप्यों के प्रबन्धन और डूबत और शंकास्पद ऋण के लिए उपबन्ध करने हेतु, जिसमें बट्टे—खाते में डालने के लिए समय—सीमा अन्तर्विष्ट हो, व्यवस्था करेगी।

(2) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर वित्तीय लेखा मानकों के अन्तर्गत स्थिर परिसम्पत्तियों की सामान्यतः स्वीकृत परिभाषा के अनुसार स्थिर परिसम्पत्ति रिजस्टर की अस्तित्व जांच पूर्ण कर ली है और उसे तैयार कर लिया है: परन्तु उपधारा (2) में निर्दिष्ट उक्त योजना को राज्य आयोग को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

- (3) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली एक सशक्त समिति गठित करेगी,—
 - (i) प्रधान सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार

अध्यक्ष;

(ii) प्रधान सचिव (ऊर्जा), हिमाचल प्रदेश सरकार

सदस्य; और

(iii) राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी का प्रमुख

सदस्य-सचिव ।

7. (1) राज्य सरकार का यह सुनिश्चित करना कर्त्तव्य होगा कि राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी के निदेशक बोर्ड में क्रियाशील, नामनिर्देशिती और स्वतन्त्र निदेशकों का अनुकूलतम संयोजन हो:

ानगामत शासन प्रणाली ।

परन्तु यह कि क्रियाशील निदेशकों की संख्या (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक / प्रबन्ध निदेशक सहित) बोर्ड की वास्तविक संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नामनिर्देशित निदेशकों की संख्या दो से अधिक नहीं होगीः

परन्तु यह और कि स्वतन्त्र निदेशकों की संख्या कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुसार होगी । स्पष्टीकरण:-'स्वतन्त्र निदेशक' से वितरण अनुज्ञप्तिधारी का अंशकालीन निदेशक अभिप्रेत होगा, जो,-

- (क) निदेशक का पारिश्रमिक प्राप्त करने के अलावा, राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी, इसके निदेशकों, इसके प्रवर प्रबन्धन, इसकी नियंत्री कम्पनी इसके समनुषंगियों और सहयुक्तों तथा राज्य सरकार, जो निदेशक की स्वतन्त्रता को प्रभावित करे, के साथ कोई सारवान धनीय सम्बन्ध या संव्यवहार न रखता हो;
- (ख) बोर्ड स्तर पर या बोर्ड से एक स्तर नीचे प्रबन्धन हैसियतें रखने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित नहीं है;
- (ग) पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित में से, किसी का भागीदारी या कार्यपालक नहीं है, या भागीदार या कार्यपालक नहीं था:-
 - (i) राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ सम्बन्धित कानूनी लेखा परीक्षा फर्म या आन्तरिक लेखा परीक्षा फर्म या कर लेखा परीक्षा फर्म या ऊर्जा लेखा परीक्षा फर्म या प्रबन्धन लेखा परीक्षा फर्म या जोखिम लेखा परीक्षा फर्म या बीमा लेखा परीक्षा फर्म; और
 - (ii) राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ सारवान् सम्बन्ध रखने वाले अधिवक्ता(ओं) का पैनल या कानूनी फर्म (फर्मों) या परामर्शदात्री फर्म (फर्मों) या विशेषज्ञ(विशेषज्ञों);
- (घ) राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी का सारवान् प्रदायकर्ता, सेवा प्रदान करने वाला या ग्राहक या पट्टाकर्ता या पट्टाधारी नहीं है जो निदेशक की स्वतन्त्रता को प्रभावित करे;

- (ङ) राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अर्थात् मतदान किए जाने वाले शेयरों के ब्लॉक का 2 प्रतिशत या उससे अधिक का स्वामी है, का सारवान शेयरधारक नहीं है; और
- (च) योग्यता, सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति है जो इंजीनियरिंग या विधि या अर्थशास्त्र या वाणिज्य या वित्त या प्रबन्धन में अर्हता रखता हो और विद्युत उत्पादन या पारेषण या वितरण के क्षेत्रों में ज्ञान और अनुभव रखता हो ।
- (2) राज्य सरकार, पब्लिक उपक्रम विभाग, भारत सरकार द्वारा, राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के समस्त बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबन्धकगण के लिए यथा अधिसूचित पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए निगमित शासन प्रणाली पर मार्गदर्शक सिद्धान्तों की पद्धति पर आचार संहिता अधिकथित करेगी, जिसमें बोर्ड और प्रबन्धन के मध्य उत्तरदायित्वों की भूमिका और विभाजन की स्पष्ट रूप रेखा तो सम्मिलित होगी परन्तु इस तक सीमित नहीं होगी।
- (1) राज्य सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 और तद्धीन बनाए गए नियमों विनियामक और विनियमों तथा विनियामक निर्देशकों और नीतियों की राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी अनुपालन द्वारा अनुपालना की प्रास्थिति का एक वर्ष में दो बार मूल्यांकन करने के वाखिल साथ-साथ ऐसे अंतिम मूल्यांकन से अननुपालन की प्रेरणा को परिशोधित किए जाने हेतु उठाए गए कदमों का भी मूल्यांकन करेगी ।
- (2) राज्य सरकार, सही (दूअप) याचिकाओं, संकलित राजस्व अपेक्षा और टैरिफ याचिकाओं तथा राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट आदेशों या विनियमों के अनुसार ईंधन और क्रय की गई विद्युत लागत के कारण समायोजन याचिकाओं का नियमित और समय पर दायर करना सुनिश्चित करेगी।
- उपधारा (2) के होते हुए भी, राज्य सरकार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी को निम्नलिखित को कम करने या समाप्त करने

हेतु, राजकोषीय उपबन्ध या अनुदान की व्यवस्था करे, यदि राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी की असफलता के कारण कोई प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव पड़ता है:—

- (क) वास्तविक ऊर्जा क्रय लागत और राज्य आयोग द्वारा अनुमोदित ऊर्जा क्रय लागत में फेरफार;
- (ख) संकलित राजस्व अपेक्षा की अन्य मदों की वास्तविक और अनुमोदित व्यय में फेरफार जैसे कि परिचालन और अनुरक्षण व्यय तथा पूंजीगत व्यय, परन्तु उस तक सीमित नहीं; और
- (ग) आपूर्ति की औसत लागत और राजस्व की औसत वसूली के मध्य फेरफार:

परन्तु आपूर्ति की औसत लागत और राजस्व की औसत वसूली के मध्य में फेरफार, यदि कोई हो, को इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से तीन से पांच वर्ष की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

(4) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विनियामक परिसम्पत्तियाँ, यदि कोई हो, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से तीन से पांच वर्ष की अविध के भीतर या राज्य आयोग द्वारा ऐसी किसी नियत अविध, यदि कोई हो, के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, शीघ्रता से परिनिर्धारित की गई है।

समझौता जापन । 9. (1) राज्य सरकार और राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास से अनिधक की अविध के भीतर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रमुख निष्पादन संकेतकों और निष्पादन मूल्यांकन के लिए, लक्ष्य निर्धारित करने हेतु इस निमित्त एक समझौता ज्ञापन करेगी: परन्तु समझौता ज्ञापन, राज्य संवितरण अनुज्ञप्तिधारी को, इसकी विधिक और विनियामक बाध्यताओं के निष्पादन तथा अनुपालन हेतु अधिकतम स्वायत्तता प्रदान करने पर केन्द्रित होगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा परन्तु उसी तक सीमित नहीं होगा:—

- (क) वार्षिक राजस्व अपेक्षा और टैरिफ याचिकाओं को समय पर दायर करना और राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्रय किए गए ईंधन और ऊर्जा की लागत के लेखे समायोजन;
- (ख) विवेकपूर्ण निवेश और पूंजीगत व्यय योजना; और
- (ग) उपभोक्ताओं को पर्याप्त और वहन करने योग्य विद्युत प्रदाय उपलब्ध करवाने हेतु वित्तीय प्रबन्धनः

परन्तु यह भी कि समझौता ज्ञापन, इस अधिनियम और राज्य विद्युत वितरण प्रबन्धन विवरणी में उपबन्धित समस्त वित्तीय और प्रचालन प्राचलों के लिए निष्पादन मील पत्थर साबित होगा ।

(2) राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी, राज्य सरकार को प्रत्येक छह मास में इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के अधीन यथा अपेक्षित, इसके परिचालन और वित्तीय निष्पादन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगाः

परन्तु यह कि रिपोर्ट में निष्पादन मीलपत्थर और इन निष्पादन मीलपत्थरों के वास्तविक निष्पादन प्राप्त करने के लिए ऐसी युक्ति और योजना अधिकथित होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए:

परन्तु यह और कि राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी यदि करार पाए गए मीलपत्थरों को प्राप्त करने में असफल रहते हैं तो वे पुनरीक्षित युक्तियां और योजनाएं इंगित करेंगे । अनुभवण तन्त्र। 10. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रभावी कार्यन्वयन हेतु, अधिसूचना द्वारा निम्न से गठित एक समिति की स्थापना करेगी:—

- (क) मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार अध्यक्ष;
- (ख) प्रधान सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार सदस्य;
- (ग) प्रधान सचिव (ऊर्जा), हिमाचल प्रदेश सरकार सदस्य–सचिव;
- (घ) राज्य संवितरण अनुज्ञप्तिधारी का प्रमुख सदस्य;
- (ङ) राज्य के स्वामित्व वाली उत्पादन (जनरेटिंग) सदस्य; कम्पनी का प्रमुख
- (च) राज्य के स्वामित्व वाले पारेषण अनुज्ञप्तिधारी सदस्य; का प्रमुख
- (छ) नोडल बैंक के प्रतिनिधि और सदस्य; और राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी के तीन मुख्य उधारदाता
- (ज) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्रतिनिधि सदस्य।
- 11. (1) धारा 10 के अधीन स्थापित समिति, प्रत्येक तीन मास में, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार पर संत्यक्त दायित्वों के अनुपालन का पुनरीक्षण करेगी और उपचारी उपायों, यदि कोई हों, की संस्तुति करेगी और राज्य सरकार, ऐसे पुनरीक्षणों का निष्कर्ष राज्य विधान सभा के समक्ष रखेगी।
- (2) इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार पर संत्यक्त दायित्वों को पूरा करने में राज्य विधान सभा के अनुमोदन के बिना कोई विचलन अनुमत्त नहीं किया जाएगा ।

अनुपालन प्रवर्तित करने के उपाय।

- (3) जहां अकल्पित परिस्थितियों के कारण, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार पर संत्यक्त दायित्वों को पूर्ण करने में कोई विचलन है, वहां धारा 10 के अधीन स्थापित समिति राज्य विधान सभा के समक्ष निम्नलिखित स्पष्ट करते हुए एक कथन देगी:—
 - (i) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार पर संत्यक्त दायित्वों को पूर्ण करने में विचलन के कारण;
 - (ii) क्या ऐसा विचलन सारभूत है और इसकी राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वित्तीय तथा परिचालन प्रतिवर्तन पर सम्भाव्य विवक्षाएं हैं; और
 - (iii) धारा 10 के अधीन स्थापित समिति द्वारा की गई संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित उपचारी उपाय ।
- (4) राज्य सरकार द्वारा कर्त्तव्यों के अननुपालन पर केन्द्रीय सरकार समुचित कार्यवाही कर सकेगी जिससे अनाबंटन कोटा, आदि से ऊर्जा हेतु राज्य अपात्र हो सकेगा ।
- 12. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के राज्य सरकार की नियम लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बनाएगी । बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित समस्त या किसी मामले हेतु उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:—

- (i) धारा 3 में निर्दिष्ट राज्य विद्युत वितरण प्रबन्धन विवरणी का प्ररुप;
- (ii) दीर्घकालिक योजना हेतु ऐसे अन्य उपाय जैसे धारा 4 के अधीन अपेक्षित हों; और
- (iii) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए ।

नियमों का राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाना। 13. राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाए जाने के पश्चात् यथा–शक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। 14. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध नहीं होगी।

अन्य विधियों 15. इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के का लागू होना उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में । वर्जित नहीं।

कित्नाईयाँ दूर 16. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई करने की किताई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो ऐसी किताईयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परन्तु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से तीन मास की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

- (2) इस धारा के अधान किया गया प्रत्येक आदेश उसके इस प्रकार किए जाने के पश्चात् यथा—शक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रख जाएगा।
- अधिनियम का 17. (1) इस अधिनियम की कोई भी बात ऐसे किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी कितिपय मामलों को लागू नहीं होगी जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन नहीं है होगा। या राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अस्तित्व उत्तराधिकारी को जो राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन नहीं है।
 - (2) उपधारा (1) के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निदेश उस अवधि के लिए लागू रहेंगे जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा ऐसे निदेश जारी किए गए थे।

अनुसूची

(धारा 2 (1) (ठ) और (3) देखें) दृष्टान्त प्रमुख निष्पादन संकेतक (के आई पीज़)

इस अधिनियम की धारा 3 में यथा उपबन्धित राज्य विद्युत वितरण प्रबन्धन विवरणी में निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रमुख निष्पादन संकेतक सम्मिलित किए जाएंगे परन्तु ऐसे क्षेत्रों तक सीमित नहीं होंगे:—

I. योजनाः

- (क) दीर्घकालिक, मध्यमकालिक और अल्पकालिक आधार पर ऊर्जा और शीर्ष किमयों को दूर करने हेतु सही मांग प्राक्कलन सिहत विद्युत उत्पादन एक वर्ष के भीतर संकलित तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों की मांग और प्राक्कलन के पूर्वानुमान, द्वितीय वर्ष से आगे पूर्वानुमान के अनुसार विद्युत का उपापन और आगामी तीन से पांच वर्षों में उपभोक्तओं को शत—प्रतिशत विद्युत की आपूर्ति का जिम्मा लेना;
- (ख) सरकारी विभागों और संस्थाओं द्वारा विद्युत देयों का संदाय.—चालू देय बिलों के आने की देय तारीख के भीतर संदत्त किए जाने हैं;
- (ग) वितरण हानि कमी प्रक्षेप पथ.—संकलित तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों के 30 प्रतिशत से अधिक हानियों के लिए 3 प्रतिशत वार्षिक की दर से और 30 प्रतिशत से नीचे की हानियों के लिए 1.5 प्रतिशत की दर से कम किया जाना है;
- (घ) सहायिकी के लिए व्यवस्था.—इसके लिए उपबन्ध सरकार द्वारा बजट में व्यवस्था के माध्यम से अग्रिम में किया जाना चाहिए;
- (ङ) समस्त 33 के०वी० फीडरों, 11 के०वी० फीडरों और वितरण ट्रांसफार्मरों के ऊर्जा लेखे और ऊर्जा संपरीक्षा.—एक से दो वर्ष के भीतर पूरा किया जाना है;
- (च) शत—प्रतिशत मीटरिंग और उपभोक्ता सूचकांक.—तीन वर्ष के भीतर प्राप्त किया जाना है;

(छ) चोरी के मामलों को निपटाने के लिए एक वर्ष के भीतर विशेष न्यायालय स्थापित करना, यदि वे पहले से स्थापित नहीं हैं।

II. वित्तीय पुनर्गठनः

- (क) संग्रहण दक्षता में सुधार.—यदि यह 95 प्रतिशत से 99 प्रतिशत के बीच है, तो 1.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से,यदि यह 90 प्रतिशत से 95 प्रतिशत के बीच है, तो 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से और यदि यह 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के बीच है, तो 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाई जानी है;
- (ख) पूर्ववर्ती प्राप्यों की वसूली.—जब तक कामकाज पूंजी संगणना में आयोग द्वारा मानक सम्बन्धी स्तर तक अनुज्ञात नहीं कर दिया जाता है, पूर्ववर्ती प्राप्यों को, 20 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से कम किया जाना है;
- (ग) संदेयों और अन्य दायित्वों का परिनिर्धारण.—जब तक मानक सम्बन्धी स्तर प्राप्त नहीं हो जाता है, प्रति वर्ष 20 प्रतिशत की कमी;
- (घ) पूंजीगत व्यय के साथ—साथ इसकी निधिगत योजना.—आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष समय पर अनुमोदित किया जाना;
- (ङ) अल्पकालिक विद्युत क्रय की प्रमात्रा और दर.—प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत से अधिक नही;
- (च) आकास्मिकी दायित्वों का निर्वहन.-प्रत्येक वर्ष 20 प्रतिशत;
- (छ) कर्मचारियों के कालिक प्रसुविधा दायित्वों का निर्वहन.—पूर्ववर्ती कर्मचारियों के लिए एक वर्ष के भीतर और वर्तमान तथा सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की तारीख को ।

III. लेखा उपाय:

- (क) वार्षिक लेखों को समय पर तैयार किया जाना और उनकी संपरीक्षा (वार्षिक लेखे 30 सितम्बर की देय तारीख के भीतर तैयार किए जाने हैं और उन्हें चालू लेखों के मानदण्डों के साथ पुनः श्रेणीबद्ध किया जाएगा);
- (ख) डूबत और शंकास्पद ऋणों / बट्टे खातों के लिए उपबन्ध करना ।

IV. निगमित शासन प्रणाली:

- (क) क्रियाशील निदेशकों की संख्या.—केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों हेतु निगमित शासन प्रणाली के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार;
- (ख) स्वतन्त्र निदेशकों की संख्या.—केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों हेतु निगमित शासन प्रणाली के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार ।

V. विनियामक उपाय:

- (क) औसत राजस्व वसूली और आपूर्ति की औसत लागत के मध्य अन्तर.— तीन से पांच वर्ष की अवधि में दूर किया जाना है;
- (ख) विनियामक परिसम्पत्तियों का परिसमापन.—तीन से पांच वर्ष की अवधि में परिसमाप्त किया जाना है;

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है।

द्धा विद्या विश्व किया हिमा अध्यक्ष है स्व

विधान सभा, शिमल

शिमला-171 004

दिनांक :**q**-1-2015

मैं इत विधेयक पर अनुमति देती हूँ

टिकिटार थि*ँ* राज्यपाल इ_{सम्ब}राज्यपाल।

शिमला−171 002 दिनांक २**-**1−2015

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 10 OF 2014

THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY DISTRIBUTION MANAGEMENT RESPONSIBILITY BILL, 2014

(As Passed By the Legislative Assembly)

THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY DISTRIBUTION MANAGEMENT RESPONSIBILITY BILL, 2014

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

- 1. Short title, applicability, extent and commencement.
- 2. Definitions.
- 3. State Electricity Distribution Management Statement to be laid before the State Legislature.
- 4. Long term planning for sustainability of State Distribution Licensee.
- 5. Financial Restructuring Plan for State Distribution Licensee.
- 6. Accounting measures.
- 7. Corporate Governance.
- 8. Regulatory compliance and tariff filings.
- 9. Memorandum of understanding.
- 10. Monitoring Mechanism.
- 11. Measures to enforce compliance.
- 12. Power of State Government to make rules.
- 13. Rules to be laid before State Legislature.
- 14. Protection of action taken in good faith.
- 15. Application of other laws not barred.
- 16. Power to remove difficulties.
- 17. Act not to apply in certain cases.

THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY DISTRIBUTION MANAGEMENT RESPONSIBILITY BILL, 2014

(As Passed By the Legislative Assembly)

Α

BILL

to provide for responsibilities of the State Government to ensure financial and operational turn-around and long-term sustainability of the State-owned Distribution Licensee to enable adequate electricity supply to consumers through financial restructuring, support on sustainable basis in the areas of long term planning, corporate governance, regulatory compliances, and laying down of policy directives and various other measures connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:-

- 1. (1) This Act may be called The Himachal Pradesh State Short title, applicability, Electricity Distribution Management Responsibility Act, 2014.

 Short title, applicability, extent and commencement.
- (2) The provisions of this Act shall, in accordance with the objectives of the Financial Restructuring Plan, apply to the State Distribution Licensee owned by the State Government or the Board or the Department under the State Government engaged in distribution of electricity.
 - (3) It extends to the State of Himachal Pradesh.
- (4) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Definitions.

- 2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires
 - (a) "Action Plan" shall have the meaning assigned to it in section 3 of this Act;
 - (b) "Aggregate Technical & Commercial Loss" or "AT&C Loss" means the difference between the energy input into the distribution system and the energy realised wherein the energy realised shall be equal to the product of energy billed and collection efficiency;
 - (c) "Authority" means the Central Electricity Authority referred to in sub-section (1) of section 70 of the Electricity Act;
 - (d) "Board" shall have the meaning assigned to it under the Electricity Act, 2003;
 - (e) "Collection efficiency" means the ratio of total revenue realized to the total revenue billed for the same year;
 - (f) "Electricity Act" means the Electricity Act, 2003 as in force;
 - (g) "fiscal responsibility and budget management limit" means limit imposed on State Government borrowings from Central Government under the statute relating to fiscal responsibility and budget management of the State, as may be in force from time to time;
 - (h) "Financial Restructuring Plan or "FRP" means a plan for financial restructuring of the Distribution Licensee as notified by the State Government in accordance with the provisions of the Financial Restructuring Scheme notified by the Central Government in terms of Office Memorandum No. 20/11/ 2012-APDRP, dated 5th October, 2012;

- (i) "Key Performance Indicators (KPIs)" means the performance standards laid by the State Commission, if any, and/or in the Financial Restructuring Plan, if any, and till such time the KPIs are laid down, the KPIs as provided for in the Schedule to this Act;
- (j) "Nodal Bank" means the bank nominated by the Department of Financial Services, for the purposes of financial restructuring of the State Distribution Licensee and for the purposes of co-ordination with the State Government, State Distribution Licensee and the participating Lenders;
- (k) "prescribed" means prescribed by rules made by the State Government under this Act;
- (l) "Schedule" means schedule appended to this Act;
- (m) "State Commission" means the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission constituted under section 82 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- (n) "State Distribution Licensee" or "Distribution Licensee" means the Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd. constituted under sub-section (1) of section 5 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948) or the Government Company or the Department under the State Government engaged in distribution of electricity; and
- (o) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh.
- (2) All other words in this Act, not expressly defined herein, shall have the meanings assigned thereto under the Financial Restructuring Plan, the Electricity Act, 2003, or notifications, rules, and regulations made thereunder.

State Electricity the State Legislature.

- 3. (1) The State Government shall lay, in each financial year during the Distribution Budget Session, before the State Legislature, a State Electricity Distribution Management Management Statement on the measures taken by the State Government in be laid before relation to electricity distribution in the State including, in the areas of longterm planning, consumer protection, regulatory compliance, corporate governance, financial restructuring of the State Distribution Licensee, so as to bring about the operational and financial viability of the State Distribution Licensee, on sustainable basis and which shall comprise of the following:-
 - State Electricity Distribution Strategy Statement laying down the (a) policies and strategies of the State Government for achieving the Key Performance Indicators, for the ensuing financial year, relating to the conditions or provisions provided under sections 4,5,6 and 8 and description of other activities which have potential implications on financial and operational turn-around of the State Distribution Licensee;
 - action plan, on long-term, medium term and short-term basis, laying (b) down time bound programme to-
 - (i) execute strategic priorities to achieve Key Performance Indicators;
 - (ii) monitor and ensure compliance of the Key Performance Indicators, and strategic priorities;
 - (iii) feedback loop for in/mid-course corrections; and
 - (iv) such other actions as may be required to meet the obligations cast under this Act on the State Government and achieve the objectives of this Act:

Provided that the action plan shall contain steps for eliminating and minimizing deviation in actual performance and Key Performance Indicators; and

- (c) State Electricity Distribution Performance Statement laying down an assessment of compliance, by the State Electricity Distribution Licensee or the State Government, as the case may be, with the conditions or provisions provided under sections 4,5,6 and 8 of this Act.
- (2) The State Electricity Distribution Management Statement shall be in such form as may be prescribed.
- (3) The State Electricity Distribution Management Statement shall be without prejudice to any consequences to which the State Distribution Licensee may be liable under the Electricity Act, 2003 in particular, the timeline referred to in section 55 of the said Act, and any orders and directions of the authorities in relation to any of the requirements under the said enactment:

Provided that nothing in this section shall imply relaxation of any requirement under the Electricity Act, 2003.

4. The State Government shall take, appropriate measures, to provide for the following matters, namely:—

Long term Planning for

Long term
Planning
for
sustainability
of State
Distribution

- (a) that the State Distribution Licensee estimates the demand, Distribution Aggregate Technical and Commercial loss and availability of Licensee. electricity on long term basis and contracts with the approval of the State Commission, through long or medium or short term agreements for purchase of power to meet the demand;
- (b) that the State Distribution Licensee prepares, with the approval of the State Commission, a time bound road map for Aggregate Technical and Commercial loss reduction:

Provided that the road map shall be prepared within six months from the date of coming into force of this Act;

(c) that the State Distribution Licensee undertakes energy accounting and auditing of all 33 kV feeders, 11 kV feeders and Distribution Transformers alongwith consumer indexing and time bound metering of each category of consumers and in doing so the Distribution Licensee should consider latest developments in metering technologies:

Provided that the road map in relation to energy accounting and auditing and time bound metering of all consumers shall be prepared within six months from the date of coming into force of this Act and approval for the same shall be sought from the State Commission:

Provided further that the consumer indexing shall be completed within two years from the date of coming into force of this Act:

Provided further that the State Distribution Licensee shall submit to the Authority and the State Commission half yearly progress reports with respect to energy accounting, auditing, metering and feeders and Distribution Transformers wise consumer indexing;

- (d) that if the State Government requires the grant of any subsidy to any consumer or class of consumers, the State Government shall declare the quantum of subsidy in advance categorically stating the consumer or the class of consumers to whom it is to be provided and in doing so, the State Government shall be guided by the Regulations for Multi Year Distribution Tariff evolved by Forum of Regulators;
- (e) create annual budgetary provision and also timely release of subsidies, if committed, in accordance with section 65 of the Electricity Act, 2003 on actual basis;

(f) ensure that there are no arrears of electricity charges for electricity supplied to various Departments and Institutions of the State Government on or before the date of coming into force of this Act, and in case of failure to do so, it would be adjusted against the budgetary grant:

Provided that the State Government shall make budgetary provisions including grants, to ensure payment to the State Distribution Licensee within due date of the charge for electricity supplied to its various Departments and Institutions;

- (g) set up, within one year from the date of coming into force of this Act, special courts, where it has not been done, to tackle theft of electricity in accordance with sections 153 to 157 of the Electricity Act, 2003;
- (h) ensure that the State Load Despatch Centre is operated within six months from the date of coming into force of this Act, by a Government company or any authority or corporation (other than the State Transmission Utility) established or constituted by or under any State Act, as may be notified by the State Government, and provide for other measures which shall ensure functional and financial autonomy, independent and sustainable revenue streams and adequate manpower:

Provided that such Government company or any authority or corporation shall not engage in any functions other than those specified under sections 32 and 33 of the Electricity Act, 2003;

(i) provide for the formation of subsidiaries, joint venture companies or other schemes of division, amalgamation, merger or reconstruction or arrangements in relation to the State Distribution Licensee which shall promote the profitability and viability of the resulting entity, ensure economic efficiency, public private partnership, encourage competition and protect consumer interests; and

(j) such other measures as may be prescribed.

Financial State Distribution Licensee.

- 5.(1) In the event that a Financial Restructuring Plan has been notified, Restructuring inter-alia, to operationalize the financial restructuring of the State Distribution Licensee, the State Government shall take appropriate measures, to ensure that the trajectories of the operational and financial parameters in the Financial Restructuring Plan, are achieved within the stipulated time frame.
 - The State Government shall, subject to any order or direction of the State Commission, notify a Plan to undertake financial liabilities of the State Distribution Licensee and for achieving the operational and financial trajectories considered in the Financial Restructuring Plan for financing of operational losses and interest of the State Distribution Licensee and such other measures as may be specified in the Financial Restructuring Plan or any other financial restructuring scheme:

Provided that these fiscal responsibilities shall be consistent with the budgetary constraints / fiscal limits available in the State fiscal responsibility and budget management limit, if any:

Provided further that the State Government shall not adjust any financial liability, after it has taken them over, as loan to the State Distribution Licensee:

Provided further that if the fiscal space including Debt-Gross State Domestic Product ratio under the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005, if any, is available, the State Government shall not exceed its net borrowing ceiling of the relevant fiscal year as notified by the Finance Commission from time to time:

Provided further that if in a particular year the State Government has fiscal space available more than the originally projected, it shall take over the additional liabilities as soon as possible.

- The State Government shall make Financial Restructuring Plan or (3)such other financial scheme a part of the State budget statements for effective monitoring of its impact on the State finances.
- The State Government shall ensure that the State Distribution Licensee does not resort to short term loans for funding operational losses except as provided in the Financial Restructuring Plan.
- 6. (1) The State Government shall ensure that the State Distribution Accounting Licensee establishes, within six months from the date of coming into force of measures. this Act, an Empowered Committee to ensure identification, provisioning and write offs of receivables and bad and doubtful debts in the books of accounts of the State Distribution Licensee:

Provided that the State Distribution Licensee shall prepare accounting policies which shall provide for its financial management and management of its receivables and provisioning for bad and doubtful debts containing timeline for writing them off.

(2) The State Government shall ensure that the Distribution Licensee completes physical verification and preparation of fixed assets register on a commonly accepted definition of fixed assets under the financial accounting standards within two years from the date of coming into force of this Act:

Provided that the said plan referred to in sub-section (2) shall be submitted to the State Commission for approval.

- The State Government, by notification, shall establish an Empowered Committee consisting of,-
 - (i) Principal Secretary (Finance) to the Chairperson; Government of Himachal Pradesh

- (ii) Principal Secretary (Power) to the *Member; and* Government of Himachal Pradesh:
- (iii) Head of the State Distribution *Member-Secretary* Licensee:

Corporate Governance.

7. (1) It shall be duty of the State Government to ensure that the Board of Directors of the State Distribution Licensee has an optimum combination of functional, nominee and independent directors:

Provided that the number of functional directors (including Chairmancum-Managing Director/Managing Director) shall not exceed fifty percent of the actual strength of the Board:

Provided further that the number of nominee Directors appointed by the State Government shall be restricted to a maximum of two:

Provided further that the number of Independent Directors shall be as per provisions under the Companies Act, 2013.

Explanation:-'Independent Director' shall mean a part-time director of the distribution licensee who,-

- (a) apart from receiving director's remuneration, does not have any material pecuniary relationship or transaction with the State Distribution Licensee, its Directors, its senior management, its holding company, its subsidiaries and associates, and the State Government, which may affect the independence of the Director;
- (b) is not related to persons occupying management positions at the Board level or at one level below the Board;
- (c) is not a partner or an executive, or was not a partner or an executive during the preceding three years, of any of the following:-
 - (i) the statutory audit firm or the internal audit firm or tax audit firm or energy audit firm or management audit firm or risk

audit firm or insurance audit firm, that is associated with the State Distribution Licensee: and

- the panel of advocate(s) or legal firm(s) or consultant(s) and (ii) consulting firm(s) or expert(s) that have a material association with the State Distribution Licensee;
- (d)is not a material supplier, service provider or customer or a lessor or lessee of the State Distribution Licensee, which may affect the independence of the Director;
- is not a substantial shareholder of the State Distribution Licensee (e) i.e. owning 2% or more of the block of voting shares; and
- is a person of ability, integrity and standing, having qualification in (f) engineering or law or economics or commerce or finance or management and having knowledge and experience in the areas of generation or transmission or distribution of electricity.
- (2) The State Government shall lay down a code of conduct in line with the Guidelines on Corporate Governance for Public Sector Enterprises, as notified by the Department of Public Enterprises, Government of India, for all Board Members and senior management of the State Distribution Licensee, which shall include but be not limited to a clear delineation of the roles and division of responsibilities between the Board and the management.
- 8. (1) The State Government shall, twice in a year, evaluate the status Regulatory of compliance by the State Distribution Licensee with the Electricity Act, and tariff 2003 and Rules and Regulations made thereunder as also regulatory directives filings. and policies as well as steps taken to rectify instances of non-compliances since the last such evaluation.

The State Government shall ensure regular and timely filing of trueup petitions, Aggregate Revenue Requirement and tariff petitions, and petitions for adjustments on account of fuel and cost of power purchased by the State Distribution Licensee, as per the orders or regulations specified by the State Commission.

- (3) Notwithstanding sub-section (2), it shall be the duty of the State Government to make fiscal provision or provision of grant to the State Distribution Licensee if there is an adverse financial impact due to the failure of the State Distribution Licensee to minimize or eliminate the following:-
 - (a) variations in the actual power purchase cost and the power purchase cost approved by the State Commission;
 - (b) variations in the actual and approved expenditure of other items of the Aggregate Revenue Requirement such as but not limited to Operation and maintenance expenditure and capital expenditure; and
 - (c) variation between average cost of supply and average realization of revenue:

Provided that the variation, if any, between average cost of supply and average realization of revenue, shall be bridged/filled in a period of three to five years from the date of coming into force of this Act.

(4) The State Government shall ensure that the regulatory assets, if any, are liquidated expeditiously in a period of three to five years from the date of coming into force of this Act, or within such period stipulated, if any, by the State Commission, whichever is earlier.

Memorandum 9. (1) The State Government and the State Distribution Licensee, of Understanding shall, within a period not exceeding six months from the date of coming into force of this Act in this behalf, enter into a memorandum of understanding for setting targets for Key Performance Indicators and performance evaluation of the State Distribution Licensee for each financial year:

Provided that the memorandum of understanding shall be aimed at providing greater autonomy to the State Distribution Licensee to perform and comply with its legal and regulatory obligations including but not limited to.-

- (a) timely filing of Annual Revenue Requirement and tariff petitions and adjustments on account of fuel and cost of power purchased by the State Distribution Licensee;
- (b) prudent investment and capital expenditure planning; and
- (c) financial management, to enable adequate and affordable electricity supply to consumers:

Provided also that the memorandum of understanding shall provide for performance milestones for all the financial and operational parameters provided in this Act and State Electricity Distribution Management Statement.

(2) The State Distribution Licensee shall submit every six months, a report to the State Government, on its operational and financial performance as required under various provisions of this Act:

Provided that the report shall lay down the strategy and plan for achieving the performance milestones and actual performance against these performance milestones as may be prescribed by the State Government:

Provided further that the State Distribution Licensee shall indicate revised strategies and plans in case they fail to achieve the agreed milestones.

- 10. (1) The State Government shall, by notification, establish a Monitoring Committee for effective implementation of this Act, consisting of:
 - (a) Chief Secretary Chairperson;
 Government of Himachal Pradesh:

(b) Principal Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh:

Member:

Principal Secretary (Power) to the (c) Government of Himachal Pradesh:

Member-Secretary;

Head of the State Distribution Licensee: (d)

Member:

Head of the State owned Generating (e)

Member:

Company:

Head of the State owned Transmission **(f)** Licensee:

Member:

Representatives of the Nodal Bank (g) and three major Lenders of the State Distribution Licensee:

Members: and

(h) Representative from Central Electricity Authority:

Member.

Measures to en force

- 11. (1) The Committee established under section 10 shall review and compliance. recommend remedial measures, if any, every quarter, compliance of the obligations cast on the State Government under this Act, and the State Government shall place before the State Legislative Assembly, the outcome of such reviews.
 - (2) Except as may be provided under this Act, no deviation in fulfilling the obligations cast on the State Government under this Act, shall be permissible without approval of the State Legislative Assembly.
 - Where owing to unforeseen circumstances, there is a deviation in (3) fulfilling the obligations cast on the State Government under this Act, the Committee established under section 10 shall make a statement before the State Legislative Assembly explaining
 - the reasons for deviation in fulfilling the obligations cast on (i) the State Government under this Act:

- (ii) whether such deviation is substantial and has potential implications on financial and operational turn-around of the State Distribution Licensee: and
- the remedial measures that the State Government proposes (iii) to take on the recommendations made by the Committee established under section 10.
- (4) Non-compliance of the duties by the State Government may attract appropriate action by the Central Government that may render the State ineligible for power from the unallocated quota, etc.
- 12. (1) The State Government shall, by notification, make rules for Power of carrying out the provisions of this Act.

Government to make rules.

- In particular and without prejudice to the generality of the foregoing **(2)** power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:
 - the form of the State Electricity Distribution Management Statement referred to in section 3;
 - such other measures for long term planning as may be required under section 4; and
 - (iii) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.
- 13. Every rule made by the State Government shall be laid, as soon as Rules to be laid before may be after it is made, before the State Legislature. State Legislature .
- 14. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Protection State Government or State Distribution Licensee or any officer of the State of action taken in Government or State Distribution Licensee, for anything which is in good good faith. faith done or intended to be done under this Act.

Application of other laws not barred.

15. The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.

Power to remove difficulties.

16. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of three months from the date of coming into force of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly.

Act not to apply in certain cases.

- 17. (1) Nothing in this Act shall apply to any Distribution Licensee that is not owned or controlled by the State Government or to a successor entity of the State Distribution Licensee that is not owned or controlled by the State Government.
- (2) Notwithstanding sub-section (1), all directives issued by the State Government under this Act shall continue to apply for the period for which such directions were issued by the State Government.



SCHEDULE

(Sections 2(1)(1) and 3)

Illustrative Key Performance Indicators (KPIs)

The State Electricity Distribution Management Statement as provided in section 3 of this Act shall include but not limited to, the Key Performance Indicators in the following areas:-

I. Planning:

- (a) power Procurement with accurate Demand Estimation to mitigate Energy and Peak Shortages on long-term, medium-term and short-term basis-undertake forecasting of demand and estimation of Aggregate Technical and Commercial losses within one year, procurement of power as per forecast from second year onwards and 100% electricity supply to consumers in next three to five years;
- (b) payment of dues of electricity by Government Departments and Institutions.—the current dues have to be paid within due date of raising of bills;
- (c) distribution loss reduction trajectory.—Aggregate Technical and Commercial losses to be reduced @3% per year for losses above 30% and @ 1.5% per year for losses below 30%;
- (d) provisioning of subsidy.—it should be provided upfront by the Government by way of budgetary provision;
- (e) energy accounting and energy auditing of all 33 kV feeders, 11 kV feeders and distribution transformers.—to be achieved within one and two years;

- (f) 100% Metering and Consumer Indexing.—to be achieved within three years;
- (g) setting up Special Courts for settling theft cases.—to be set up within one year, if not already set up.

II. Financial Restructuring:

- (a) improvement in collection efficiency.—to be increased @ 1.5% per year if it is between 95 to 99%, @ 3% per year if it is between 90 to 95% and @ 5% per year if it is between 80 to 90%;
- (b) recovery of past receivables.—past receivables to be reduced @ 20% per year till the normative level allowed by the Commission in the working capital computation;
- (c) liquidation of payables and other liabilities.—20% reduction every year till normative levels are achieved;
- (d) Capital Expenditure along with its funding plan.—to get timely approved every year as per the norms specified by the Commission;
- (e) quantum and rate of short term power purchase.—not more than 10 to 15% every year;
- (f) discharge of Contingent liabilities.—20% every year; and
- (g) discharge of terminal benefit liabilities of the employees.—within one year for the past employees and for currently retiring on the date of retirement;

III. Accounting Measures:

- timely preparation and audit of Annual Accounts (Annual Accounts to be prepared within due date of 30th September and realigned with the current accounting standards); and
- (b) provision for bad and doubtful debts/write offs;

IV. Corporate Governance:

- (a) number of Functional Directors.—as per Guidelines for Corporate
 Governance for Central Public Sector Undertakings; and
- (b) number of Independent Directors.—as per Guidelines for Corporate Governance for Central Public Sector Undertakings;

V. Regulatory Measures,-

- (a) gap between Average Revenue Realization and Average Cost of Supply.—to be eliminated in a period of three to five years; and
- (b) liquidation of Regulatory Assets.—to be liquidated in a period of three to five years.

मैं, "हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 10)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूं।

जिल्हा कि राज्यपाल हिमानुन्न प्रदेश।

राज्यपाल ने "हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 10)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

प्रधान सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार।